9785390930 (M)
incharge.arss.gonera@sknau.ac.in

कृषि अनुसंधान उप केन्द्र
(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविधालय, जोबनेर)
गोनेड़ा जिलाः कोटपूतली–बहरोड़ (राज.)

क्रमांक / कृ.अ.उ.के. / के.टी.पी. / 2024 / 248–254 दिनांकः 05.10.2024

खुली निविदा सूचना

इस केन्द्र पर हिस्सा आधारित खेती के लिए रबी 2024–25 व खरीफ 2025 के लिए दिनांकः 14.10.2024 को दोपहर 12:00 बजे तक निविदाएं आंमत्रित की जाती है एवं निविदाएं दिनांकः 15.10.2024 को श्रीमान् निदेशक, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुरा–जयपुर कार्यालय में दोपहर 12:00 बजे खोली जावेगी। निविदा प्रपत्र एवं शर्तो की जानकारी इस केन्द्र पर पाँच सौ रु. जमा करवाकर प्राप्त की जा सकती है। निविदा प्रपत्र के साथ चौबीस हजार रु. धरोहर राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा **OFFICER INCHARGE ARSS GONERA KOTPUTLI (RF)** के नाम पर जमा करवानी होगी। निविदा से संबंधित समस्त विवरण वेबसाइट www.sknau.ac.in एवं राज्य सरकार की वेबसाइट http://sppp.rajasthan.gov.in पर अपलोड कर दी गई है, जिसका UBN No. . . . . हैं पर देखा जा सकता है। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार कमेटी को होगा।

प्रभारी अधिकारी

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. श्रीमान् निदेशक, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुरा (जयपुर)
2. श्रीमान् वित्तनियंत्रक, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविधालय, जोबनेर को भेजकर निवेदन है, कि उक्त विज्ञप्ति को खोली जानी वाली दिनांक 15.10.2024 को अपना प्रतिनिधि भेजने का श्रम करावें।
3. श्रीमान् चैयरमैन, टैप कमेटी, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुरा (जयपुर)
4. श्रीमान् राजस्थान समवाद, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि उक्त विज्ञप्ति को राज्य स्तरीय अंक में प्रकाशित कर बिल इस कार्यालय को भेजने का कष्ट करें।
5. सीमका ईंचार्ज श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविधालय, जोबनेर को भेजकर निवेदन है, कि उक्त विज्ञप्ति को विश्वविधालय, की बेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करावें।
6. सूचना पट्ट, कार्यालय
7. आरक्षित प्रति

प्रभारी अधिकारी

कृषि अनुसंधान उप केन्द्र गोनेड़ा जिलाः कोटपूतली–बहरोड़ (राज.) (श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)	
निविदा सूचना क्रमांकः /कृ.अ.उ.के./के.टी.पी./2024/248–254 दिनांकः 05.10.2024	
1. योजना का नाम :	हिस्सा आधारित खेती
2. बजट हेड	रिवोल्विंग फंड
3. कार्य की अनुमानित अवधि	रबी 2024–25 व खरीफ 2025
4. निविदा फार्म का मूल्य	500/–रुपये रसिद नं. दिनांक
5. धरोहर राशि की प्रकृति व राशि	डिमाण्ड़ ड्राफ्ट 24000/–रुपये
6. निविदादाता/ कोन्ट्रेक्टर द्वारा किये जाने वाले कार्य का विवरणः	

	विवरण	हिस्सेदारी	प्रतिशत
गेहूँ, जौ, चना व अन्य फसलें			
	दाना/बीज उपज	कोन्ट्रेक्टर द्वारा रखा जाने वाला हिस्सा	
		कोन्ट्रेक्टर द्वारा केन्द्र को दिया जाने वाला हिस्सा	
	चारा उपज	100 प्रतिशत हिस्सा निविदादाता को ही देय	
सरसों /तारामिरा		कोन्ट्रेक्टर द्वारा रखा जाने वाला हिस्सा	
		कोन्ट्रेक्टर द्वारा केन्द्र को दिया जाने वाला हिस्सा	
	भूसा	100 प्रतिशत हिस्सा निविदादाता को ही देय	

<u>निविदा शर्तेः–</u>

1.	ट्रेक्टर सम्बन्धी कार्य जैसे डिस्क प्लाउ, हेरो, कल्टीवेटर, रोटावेटर द्वारा भूमि तैयारी कार्य, सीड ड्रिल द्वारा बुवाई, फर्टीलाईजर ड्रिलिंग इत्यादि कार्य के लिये ट्रैक्टर की व्यवस्था मय डिजल केन्द्र द्वारा ही की जावेगी जबकि ट्रैक्टर चालन का कार्य निविदादाता को करना होगा।
2.	बुवाई के दौरान एवं फसल वृद्धि के दौरान लगने वाले बीज, खाद एवं उरर्वक, खरपतवारनाशी, फंफूदनाशक, कीटनाशक, कल्चर आदि की आपूर्ति केन्द्र द्वारा ही की जायेगी। प्रभारी अधिकारी/फार्म इनचार्ज की सिफारिश के अनुसार देय होगा।
3.	बुवाई से लेकर फसल थ्रेसिंग एवं गोदाम तक तोलकर रखवाने तक की प्रक्रिया में लगने वाले श्रमिक व्यय निविदादाता को ही वहन करने होंगें।

4.	निविदादाता को सिंचाई सम्बन्धी उपकरण जैसे पाइप, फब्बारे, बेंड, टी, डाट इत्यादि गिनकर लिखित रूप में प्राप्त करने होगें तथा कार्य समाप्त होने तक सारी जिम्मेदारी उसकी स्वयं की होगी एवं उतनी ही संख्या में गिनकर ही लौटाने होगें। इनमें किसी भी प्रकार की टूट–फूट होने पर निविदादाता को नये क्रय कर केन्द्र पर जमा करवाने होंगे नहीं लोटाने पर इनकी लागत राशि कार्यालय में जमा करवानी होगी।
5.	विभिन्न प्रकार की सस्य क्रियायें फार्म मैनेजर,फार्म इन्चार्ज व प्रभारी अधिकारी के निर्देशानुसार करनी होंगी तथा सारा श्रमिक व्यय एवं लगने वाले औजारों की व्यवस्था निविदादाता को ही वहन करनी होगी।
6.	थ्रेसिंग के बाद प्राप्त होने वाले बीज उत्पाद के बंटवारे के बाद कोन्ट्रेक्टर को उन फसलों का फसल थ्रेसिंग के समय उपज मंडी के एक सप्ताह के औसत भाव के आधार पर उसके हिस्से के उत्पाद का चैक द्वारा भुगतान कर दिया जायेगा।
7.	फार्म पर कृषि कार्यो के दोरान किसी प्रकार की दुर्घटना होनें, सांप काटने, बिजली से व अन्य किसी उपकरणों से या लापरवाही से दुर्घटना होने पर प्रभारी अधिकारी व केन्द्र की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी तथा सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदाता की ही होगी।
8.	फार्म पर स्थित तारबंदी की मरम्मत का कार्य समय समय पर निविदाता को ही करना होगा। केन्द्र अलग से कोई भुगतान नहीं करेगा।
9.	फसल कटाई के मामलों में कटी हुई फसलों को कहां इक्कठा करना है व कितने ढ़ेर बनाने हैं इसके लिए फार्म मैनेजर व प्रभारी अधिकारी से सम्पर्क करना होगा तथा प्रतिकूल मौसमीय परिस्थितियों को देखते हुये फसल इक्कठा करने के लिये ट्रेक्टर ट्रोली की सुविधा केन्द्र द्वारा दी जा सकती है परन्तु यह शर्त केन्द्र के लिये बाध्य नहीं होगी।
10.	निराई गुड़ाई, कटाई, थ्रेसिंग तथा अन्य सम्बन्धित कार्य मौसम की स्थिति को देखते हुये निविदादाता को करने होगें। प्रतिकूल मौसम होने पर उक्त कार्य रोके जाने का अधिकार फार्म मैनेजर, फार्म इन्चार्ज व प्रभारी अधिकारी को होगा ।
11.	फसल की थ्रेसिंग के पश्चात साफ किये फसल उत्पादन को बोरियों में भरकर फार्म इन्चार्ज/प्रभारी अधिकारी द्वारा बताये अनुसार तोलकर गोदाम में बोरियों की धांग निविदादाता को लगानी होगी। वजन तोलते समय नमीं एव कचरा का 3 प्रतिशत काटा जावेगा।
12.	थ्रेसिंग पश्चात बोरियों में भरते समय घ्यान रखें कि किसी भी बोरी का वजन 50 किलोग्राम से अधिक नहीं हो।
13.	थ्रेसिंग में लगे मशीनरी का खर्चा स्वयं निविदादाता द्वारा वहन करना होगा तथा थ्रेसिंग कार्य कार्यालय समय में ही करवाना होगा।
14.	थ्रेसिंग के बाद फसल उत्पादन को खलिहान से गोदाम तक लाने के लिए फार्म ट्रेक्टर ट्रोली उपलब्ध करवा दी जावेगी ।

15.	ट्यूब वैल मोटर ओपरेशन निविदादाता को ही करना होगा एवं निविदा समय में किसी भी प्रकार की खराबी होने पर निविदादाता को स्वयं के खर्चे पर ठीक करवानी होगी।
16.	ट्यूब वैल के विद्युत बिल का भुगतान केन्द्र द्वारा वहन किया जायेगा। अन्य साधन सें सिंचाई करने पर व्यवस्था निविदाता स्वयं को करनी होगी।
17.	फार्म कार्य संतोषजनक नहीं होने पर निविदा को निरस्त करने का अधिकार प्रभारी अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा जो कि कॉन्ट्रेक्टर को मान्य होगा।
18.	आवास की व्यवस्था निविदादाता को स्वयं ही करनी होगी। कार्यालय द्वारा कोई सुविधा देय नहीं होगी।
19	जमा धरोहर राशि पर ब्याज देय नहीं होगा।
20.	थ्रेसिंग कार्य में बताये अनुसार थ्रेसर लगाकर कार्य करवाना होगा एवं निविदादाता को अपने स्वयं के खर्चे से थ्रेसिंग कार्य करवाना होगा। केन्द्र द्वारा थ्रेसर उपलब्ध नही करवाया जायेगा।
21.	फार्म की फसलों की रखवाली दिन–रात की निविदाता द्वारा की जावेगी। इसके लिये केन्द्र जिम्मेदार नहीं होगा।
22.	सफल निविदाता को सौ रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर निविदा शर्तों को मानने का शपथ–पत्र देना होगा।
23.	फार्म पर बुवाई क्षेत्र एवं आसपास उगने वाले खरपतवार व अन्य अंवाछित पौधे निकालने की पूर्ण जिम्मेदारी निविदाता की होगी। खरपतवार नहीं निकालने पर इसमें लगने वाली मजदूरी का भुगतान निविदाता से वसूला जावेगा।
24.	निविदाता को प्रत्येक पेज पर हस्ताक्षर करनें होगें।
25.	प्रथम वरीयता प्राप्त पार्टी द्वारा कार्य नहीं संभालने पर ठेका निरस्त करके अगली वरीयता पार्टी को कार्य का आदेश प्रभारी अधिकारी दे सकेगें। अनुबंध की अवधि आदेश की तारीख से एक साल तक के लिए मान्य होगी। अनुबंध की अवधि कार्य सन्तोषजनक होने पर आपसी सहमति से अगले एक साल के लिए और बढाई जा सकती है।
26.	निविदादाता किसी अन्य को अपने स्तर पर हिस्सा धारक नहीं बना सकेगा। यदि निविदादाता ऐसा करता है, तो उसकी निविदा केन्द्र द्वारा निरस्त कर दी जायेगी।
27.	निविदाता की कोई शर्त मान्य नहीं होगी तथा निविदाता या उसके मजदूर केन्द्र फार्म पर मदिरा व अन्य नशा सामग्री का उपयोग नहीं करेंगें।

मुझे निविदा की समस्त शर्ते मंजूर है तथा
मैं उपरोक्त शर्तो पर कार्य करने के लिये सहमत हूँ।

कॉन्ट्रेक्टर के हस्ताक्षर व पता दिनांक सहित